भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 144B/2017-18

सुषेन महतो **बनाम** मंजु महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
30.12.2017	(see below)	

30.12.2017

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 2547 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 144B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता सुषेन महतो, पिता–स्व0 अनंता महतो, ग्राम–ब्लॉक नं0–25/2/2, रोड़ नं0–21, आदित्यपुर–1, थाना–आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता मंजू महतो, पति श्री नन्द किशोर महतो, ग्राम–चाड़री, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
उदयपुर	137	127	429	0.18 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वंय के नाम से पंजी–II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 2.49 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.18 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.31 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला, जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.18 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

30/12/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।